उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-1
संख्या-46/2015/423/38-1-2015-05 टी0आर0/2014
लखनऊ: दिनांक:11 मार्च, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

प्रशासनिक एवं शासकीय कार्यहित में तत्कालिक प्रभाव से श्री गोपाल कृष्ण चौधरी, खण्ड विकास अधिकारी, आगरा को स्थानान्तरित करते हुए जनपद-अलीगढ़ में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2- जिलाधिकारी, आगरा प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को नवीन तैनाती के जनपद में योगदान करने हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

3- स्थानान्तरित अधिकारी अपने नवीन पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर तत्संबंधी कार्यभार- प्रमाणक शासन एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करा दें। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में उनके विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

उमा कान्त पाठक
अनु सचिव

संख्या- 46/2015/423(1)/38-1-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) मण्डलायुक्त, आगरा/अलीगढ़।
(4) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, आगरा/अलीगढ़।
(5) वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा/अलीगढ़।
(6) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा- मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।